न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,नागौर

पीठासीन अधिकारी– अरूण कुमार पुरोहित, आई.ए.एस.

प्रार्थना पत्र प्रकरण संख्या– 65 **/2025**
जी.सी.एम.एस. पोर्टल नम्बर– 2025/73

प्रार्थी		**अप्रार्थी**
बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा : मेडता सिटी कृषि मण्डी के सामने, मेडता सिटी, नागौर राज.	बनाम	मैसर्स श्री केमिकल्स प्रो. श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार (अ) खसरा नं. 1629/522, ग्राम व पोस्ट कात्यासनी तहसील मेडता जिला नागौर राज. 341510 (ब) वार्ड नं. 4, सिखवालों का मौहल्ला, लक्की मोटर्स के पास, मेडता सिटी, जिला नागौर राज. 341510

आदेश **दिनांकः** 28/03/2025

प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत पेश हुआ, जो दर्ज रजिस्टर किया गया।

वकील प्रार्थी को सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों में यह कथन किया है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी/ ऋणी को **टर्म लोन खाता नं. 33580600000495 में रूपये 20,00,000/–(अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 25.03.2013 एंव केश क्रेडिट लोन खाता नं. 33580500000187 में रूपये 12,00,000/–(अक्षरे रूपये बारह लाख मात्र) दिनांक 06.03.2017 इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल रूपये 32,00,000/–(अक्षरे बत्तीस लाख रूपये मात्र)** का ऋण उपलब्ध करवाया गया। अप्रार्थीगण/ऋणी द्वारा उक्त प्राप्त ऋण की सुविधा के एवज में **सम्पति – श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार की खसरा नं. 1629/522, ग्राम व पोस्ट कात्यासनी तहसील मेडता जिला नागौर राज. स्थित औधोगिक भूमि (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.1848 हैक्टेयर), इस पर किसी भी निर्माण के साथ तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, स्पेयर्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इलैक्ट्रिक मोटर्स, डीजल पम्प सेट्स एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि सीमाए–पूर्व में–श्याम सुन्दर की भूमि, पश्चिम में–श्री धनवर राम की भूमि, उत्तर में–कच्चा रास्ता, दक्षिण में–अन्य भूमि**, जो प्रार्थी बैंक के पास ऋण अदायगी हेतु ऋणी एंव जमानतदार ने आवश्यक दस्तावेज निष्पादित किये ।

अप्रार्थी/ऋणी ने उपलब्ध ऋण का बैंक के नियमानुसार भुगतान नही चुकाया। जिसकी वजह से उक्त खाते को **दिनांक 30.04.2024** को एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया व अप्रार्थी/ऋणी के ऋण **टर्म लोन खाता नं. 33580600000495 में रूपये 3,95,868.79/–(अक्षरे तीन लाख पिचानवे हजार आठ सौ अडसठ रूपये एंव उनीयासी पैसे मात्र) एंव केश क्रेडिट लोन खाता नं. 33580500000187 में रूपये 11,37,633.67/–(अक्षरे ग्यारह लाख सैंतीस हजार छः सौ तैतीस रूपये एंव सडसठ पैसे मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल रूपये 15,33,502.46/–(अक्षरे पन्द्रह लाख तैतीस हजार पांच सौ दो रूपये एंव छियालीस पैसे मात्र) दिनांक 05.05.2024 तक ब्याज सहित व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान** बकाया निकलते है।

उक्त ऋण खाते में ऋणी द्वारा नियमानुसार भुगतान नहीं करने पर एन.पी.ए. घोषित होने के बाद एक्ट की धारा 13 (2) के अन्तर्गत प्रार्थी बैंक ने ऋणी/अप्रार्थी को **दिनांक 08.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस दिये गये एंव उक्त नोटिस का दो समाचार पत्रों में प्रकाशन करवाये जाने के पश्चात भी अप्रार्थी द्वारा ऋण राशि जमा नहीं करवायी गई व न बंधक शुदा सम्पति सम्पूर्ण कब्जा प्रार्थी बैंक को दिया गया। ऋणी को

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

उपरोक्त नोटिस के अनुसार 60 दिन के अन्दर–अन्दर ऋण राशि **टर्म लोन खाता नं. 33580600000495 में रूपये 3,95,868.79/–(अक्षरे तीन लाख पिचानवे हजार आठ सौ अडसठ रूपये एंव उनीयासी पैसे मात्र) एंव केश क्रेडिट लोन खाता नं. 33580500000187 में रूपये 11,37,633.67/–(अक्षरे ग्यारह लाख सैंतीस हजार छः सौ तैतीस रूपये एंव सडसठ पैसे मात्र) इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल रूपये 15,33,502.46/–(अक्षरे पन्द्रह लाख तैतीस हजार पांच सौ दो रूपये एंव छियालीस पैसे मात्र) दिनांक 05.05.2024 तक ब्याज सहित व आगे का ब्याज व खर्चे आदि सहित राशि का भुगतान** को जमा कराना था, परन्तु ऋणी/अप्रार्थी ने उपरोक्त नोटिस के अनुसार ऋण राशि जमा नहीं करवाई, के कारण एक्ट की धारा 13 (4) के अन्तर्गत कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है।

एक्ट की धारा 14 (1) के अन्तर्गत प्रार्थी बैक को बंधक सम्पति का ऋणी एवं जमानतियों से कब्जा लेने में सहायता आवश्यकता है, के कारण प्रार्थी बैक ने जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष बैक सिक्योरिटीज एवं सिक्योरिटीज से संबंधित डोक्यूमेन्ट का ऋणी/जमानती से कब्जा लेकर प्रार्थी बैक को कब्जा दिलवाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

बैक सिक्योरिटीज सम्पति का विवरण **श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार की खसरा नं. 1629/522, ग्राम व पोस्ट कात्यासनी तहसील मेडता जिला नागौर राज. स्थित औधोगिक भूमि (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.1848 हैक्टेयर), इस पर किसी भी निर्माण के साथ तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, स्पेयर्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इलैक्ट्रिक मोटर्स, डीजल पम्प सेट्स एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि सीमाए–पूर्व में–श्याम सुन्दर की भूमि, पश्चिम में–श्री धनवर राम की भूमि, उत्तर में–कच्चा रास्ता, दक्षिण में–अन्य भूमि**, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, का कब्जा लेना है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर प्रार्थना पत्र में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा संबंधित डौक्यूमेन्टस का कब्जा एक्ट की धारा 14 के अनुसार ऋणी/अप्रार्थी से प्रार्थी बैक को कब्जा दिलाने का आदेश जारी करने हेतु निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ऋणी/अप्रार्थी ने प्रार्थी बैक से **टर्म लोन खाता नं. 33580600000495 में रूपये 20,00,000/–(अक्षरे बीस लाख रूपये मात्र) दिनांक 25.03.2013 एंव केश क्रेडिट लोन खाता नं. 33580500000187 में रूपये 12,00,000/–(अक्षरे रूपये बारह लाख मात्र) दिनांक 06.03.2017 इस प्रकार दोनो ऋण खातों में कुल रूपये 32,00,000/–(अक्षरे बत्तीस लाख रूपये मात्र)** प्राप्त की थी। उक्त ऋण के बदले में इकरारनामा व उससे संबंधित दस्तावेज तैयार कर अपने हस्ताक्षर से प्रार्थी बैक के पक्ष में निष्पादित किये थे। प्रार्थी बैक द्वारा नियमानुसार ऋण वसूली के लिये आडिनेन्स की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी करना पाया जाता है।

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 में उपरोक्तानुसार रहन की गयी सम्पत्ति को प्रार्थी के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। जो इस प्रकार हैः– प्रतिभूति आस्थी का कब्जा लेने में प्रतिभूति लेनदार की सहायता करने के लिये मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जहां किसी प्रतिभूति आस्तियों का कब्जा प्रतिभूत लेनदार द्वारा लिये जाने की आवश्यकता हो, या यदि किन्ही प्रतिभूत आस्तियों का विकय या अन्तरण प्रतिभूत लेनदार द्वारा इस अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत किये जाने की आवश्यकता हो, तो प्रतिभूत लेनदार किसी प्रतिभूत आस्ति के कब्जे या नियंत्रण को लेने के प्रयोजन के लिये, लिखित में मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट को उनकी अधिकारिता के भीतर अनुरोध करेगा, ऐसी कोई प्रतिभूत आस्ति या उससे संबंधित अन्य दस्तावेज स्थित हो सकेगा या पाया जा सकेगा,उसका कब्जा लेने के लिये अनुरोध करेगा,और मुख्य महानगरीय

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट नागौर (राज.)

जिला मजिस्ट्रेट
नागौर

मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट जो स्थित हो, उसको किये गये उस अनुरोध पर –(क)उस आस्ति और उससे संबंधित दस्तावेजों का कब्जा लेगा, और (ख) प्रतिभूत लेनदार को उन आस्तियों और दस्तावेजों को भेजेगा।

धारा 14 (2) उप धारा (1) के प्रावधानों के साथ अनुपालना को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिये, मुख्य महानगरीय मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट उन कदमो को लेगा या लिवा सकेगा या ऐसा बल प्रयुक्त कर सकेगा जो उसकी राय मे आवश्यक हो सकेगा।

उपरोक्त प्रावधानो को दृष्टीगत रखते हुए इस संबंध मे पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने हेतु आदेश पारित किया जाना हम उचित समझते हैं । अतः प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देश दिये जाते है कि अप्रार्थी/ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक के पक्ष मे बतौर प्रतिभूति अपने स्वामित्व मे **सम्पति – श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री सुरेश कुमार की खसरा नं. 1629/522, ग्राम व पोस्ट कात्यासनी तहसील मेडता जिला नागौर राज. स्थित औधोगिक भूमि (बैंक में उपलब्ध रिकॉर्ड के अनुसार क्षेत्रफल 0.1848 हैक्टेयर), इस पर किसी भी निर्माण के साथ तथा हाईपोथिकेटेड बोरोवर्स स्टॉक, बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर, ऑल टाईप ऑफ गुड्स जैसे सेमी–फिनिश्ड गुड्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज एण्ड प्लान्ट एण्ड मशीनरी, स्पेयर्स, टूल्स, स्पेयर पार्ट्स, इलैक्ट्रिक मोटर्स, डीजल पम्प सेट्स एण्ड अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फीचर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि सीमाए–पूर्व में–श्याम सुन्दर की भूमि, पश्चिम में–श्री धनवर राम की भूमि, उत्तर में–कच्चा रास्ता, दक्षिण में–अन्य भूमि**, जो प्रार्थी बैक के पास हाईपोथीकेटेड है, को प्रार्थी बैक के हक मे बंधक किया था तथा बंधक विलेख निष्पादित किया था, के संबंध मे संबधित थानाधिकारी, पुलिस थाना को निर्देशित करे कि वे उक्त संपति का कब्जा व उससे संबंधित अन्य कोई दस्तावेज अप्रार्थी के कब्जे मे हो तो उन दस्तावेजो को प्रार्थी को संभलाने हेतु मौके पर जाकर विधि सम्मत कार्यवाही करें।

आदेश सुनाया गया।

(अरूण कुमार पुरोहित)
जिला कलक्टर एंव मजिस्ट्रेट,नागौर
जिला मजिस्ट्रेट
नागौर